श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 धारा 4(1)(बी)(viii)

1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के एक भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियाँ और अन्य निकाय:-

1.7.1: - बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम

क) कार्य परिषद/प्रबंधन बोर्ड
ख) विद्या परिषद
ग) वित्त समिति
घ) योजना एवं निगरानी बोर्ड
ङ) भवन समिति

1.7.2: संरचना

क) कार्य परिषद/प्रबंधन बोर्ड

कार्य परिषद्।

(1) कार्य परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

क) कुलपति अध्यक्ष होगा;
ख) वरियता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा विद्यापीठों के दो पीठाध्यक्ष;
ग) वरियता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा पीठाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य;
घ) वरियता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा एक सह-आचार्य;
ङ) कोर्ट के दो सदस्य जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी नहीं होगा;
च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;
छ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन प्रख्यात शिक्षाविद्;
ज) कुलपति की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संस्कृत और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में दो विख्यात शिक्षाविद्;
झ) विश्वविद्यालय की देख-रेख करने वाला शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त सचिव;
ञ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव कार्य परिषद् का सचिव होगा।

(2) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति, कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी और उसका अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा।

विद्या परिषद्

1. विद्या परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--
(क) कुलपति उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) विद्यापीठों के पीठाध्यक्ष;
(ग) विभागाध्यक्ष और केंद्रों के निदेशक;
(घ) कुलपति द्वारा वरियता के अनुसार नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विभागाध्यक्ष से भिन्न दो आचार्य;
(ङ) कुलपति द्वारा वरियता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दो शिक्षक जिसमें से कम से कम एक सह-आचार्य होगा;
(च) (च) प्रत्येक विद्यापीठ और केंद्रों से मद
(छ) मद (ख), मद (घ) और मद (ड) में निर्दिष्ट से भिन्न एक सदस्य;
(ज) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों;
(झ) कोर्ट के दो सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी नहीं होगा।

2. विश्वविद्यालय का कुलसचिव, विद्या परिषद् का सचिव होगा।
3. विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे कम से कम दो वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।
4. विद्या परिषद् के अधिवेशनों की गणपूर्ति विद्या परिषद् की स्वीकृत संख्या का आधा होगी ।

वित्त समिति

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

क) कुलपति;
ख) कोर्ट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;
ग) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और
घ) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
ङ) वित्त अधिकारी, उसका सदस्य-सचिव होगा ।

योजना और निगरानी बोर्ड

1. योजना और निगरानी बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:--
   क) कुलपति अध्यक्ष होगा;
   ख) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन आंतरिक सदस्य;
   ग) कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विश्वविद्यालय योजना का विशेष ज्ञान रखने वाले तीन विख्यात शिक्षाविद्;
   घ) वित्त अधिकारी;
   ङ) कुलसचिव, जो सदस्य-सचिव होगा।
2. योजना और निगरानी बोर्ड के पदेन सदस्यों के सिवाय अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और 'वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।
3. योजना और निगरानी बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति पांच होगी ।
4. योजना और निगरानी बोर्ड एक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन आयोजित करेगा।

1.7.3: तारीखें जिनसे गठित हुआ-

30.04.2020 से।

1.7.4: अवधि/कार्यकाल

(a) कार्य परिषद्:- कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(b) विद्या परिषद्:- विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे कम से कम दो वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे

(c) वित्त समितिः- वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे

(d) योजना और निगरानी बोर्डः- योजना और निगरानी बोर्ड के पदेन सदस्यों के सिवाय अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और 'वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(e) भवन समितिः- भवन समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे

1.7.5:- शक्तियां और कार्य

जैसा कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 में परिभाषित किया गया है।

1.7.6:- क्या उनकी बैठके जनता के लिए खुली है?

केवल समिति के सदस्यों तथा सचिवों की बैठकों में लेने की अनुमति है।

1.7.7:- क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले है?

हाँ।

1.7.8:- यदी जनता के लिए खुला है तो वह स्थान कहाँ उपलब्ध है?

उल्लिखित लिंक पर: https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/मिनट-committee-meetings